

fogxkoykdu

इस प्रतिवेदन में 24 कंडिकायें सहित एक निष्पादन लेखापरीक्षा **vks|kfxd uhfr; ka ds varxlr m|kska dks fn; s x; s Nw , oa vupku** एवं एक लेखापरीक्षा **NÜkhl x<+ ea jk"Vh; ouhdj.k dk; Øe ds fØ; kÙo; u** जिसमें ₹ 111.10 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व का कम आरोपण एवं कर का अनारोपण, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि सम्मिलित है। कुछ मुख्य प्रेक्षणों नीचे वर्णित किये गये हैं:

I. I kekl;

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2015-16 के लिये कुल प्राप्तियाँ ₹ 46,067.71 करोड़ थी। राज्य शासन द्वारा संग्रहित कर की कुल प्राप्तियाँ ₹ 22,289.65 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व ₹ 17,074.86 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 5,214.79 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 23,778.06 करोड़ थी (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 15,716.47 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 8,061.59 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 48 प्रतिशत रहा।

%dfMdk 1-1½

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वानिकी एवं वन्य जीवन एवं विद्युत शुल्क के 86 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के राशि ₹ 329.30 करोड़ के 55,971 प्रकरणों पाए गए। वर्ष 2015-16 के दौरान संबंधित विभागों ने 27,557 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 72.80 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार करते हुए 15 प्रकरणों में राशि ₹ 72.22 लाख की वसूली की गई।

%dfMdk 1-9½

II. vks|kfxd uhfr; ka ds varxRk m|kska dks Nw , oa vupku

"vks|kfxd uhfr; ka ds varxlr m|kska dks nhs xbz Nw , oa vupku** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईं:

शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीतियों के तहत उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार स्वयं की खपत पर ही विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है। उद्योग विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग एवं ऊर्जा अधिनियम, 2003 के अनुसार औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान नहीं किये जाने से शासन को ₹ 6.03 करोड़ से वंचित होना पड़ा।

%dfMdk 2-10½

यद्यपि औद्योगिक नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि निर्धारित की गई है, किन्तु औद्योगिक नीति में विकल्प की वजह से किसी एक औद्योगिक नीति में छूट का उपभोग करने पर उसका निर्धारण करने बाबत औद्योगिक नीति में प्रावधान के अभाव में उद्योगों को एक से अधिक नीति में छूट प्रदान की गई।

%dfMdk 2-11½

उद्योग विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान करता है। लाभ प्राप्त उद्योग द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी दिनांक से दो से पाँच वर्ष तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक हैं। यह देखा गया है कि उद्योग विभाग द्वारा अनुवर्ती छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ करने के दिनांक से सीमित नहीं किया गया जिसके कारण औद्योगिक नीति में निर्धारित समयावधि से अवधि बढ़ गई।

¶dfMdk 2-12½

उद्योग विभाग द्वारा शवलिकरण हेतु ₹ 1.68 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट एक ऐसे उद्योग को प्रदान की जो न तो उसके वर्तमान उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की शर्त का पालन कर रहा था और न ही नये उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति जिसमें लाभान्वित हुआ था के समयावधि में प्रारंभ किया था।

¶dfMdk 2-18½

एक उद्योग जो छूट हेतु पात्र था, अपनी एक इकाई का विक्रय ऐसे उद्योग को किया जो किसी भी छूट हेतु पात्र नहीं था। विक्रीत इकाई जो अब अपात्र उद्योग का भाग थी जिसे ₹ 1.08 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनियमित छूट प्रदान की गई।

¶dfMdk 2-19½

औद्योगिक नीति के अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित औद्योगिक नीति में उल्लेखित किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। किन्तु, उद्योग विभाग ने ₹ 76.29 लाख की छूट एवं अनुदान ऐसे उद्योग को प्रदान की जो अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित था।

¶dfMdk 2-20½

औद्योगिक नीति में उल्लेखित शर्त के अनुसार कोई भी उद्योग जो औद्योगिक नीति के तहत लाभ प्राप्त करता है तो उसे कम से कम पाँच वर्ष तक निरंतर रूप से कार्य करना चाहिए। उद्योग विभाग में निगरानी प्रणाली का अभाव होने के कारण, तीन उद्योगों निरंतर रूप से कार्य करने में विफल रहे साथ ही पाँच उद्योगों की स्थापना भी नहीं हो सकी। इन उद्योगों द्वारा छूट/रियायत के रूप में ₹ 7.38 करोड़ का उपभोग किया जो वसूलनीय था।

¶dfMdk 2-25 , oa 2-27½

III. okfudh , oa ol; thou ¶0; ; ½

NÜkhl x<+ ea jk"Vh; ouhdj .k dk; Øe dk fØ; kJo; u पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हुई:

राज्य वन विकास अभिकरण (रा.व.वि.अ.) द्वारा कार्य का वार्षिक योजना (का.वा.यो.) प्रस्तुत करने में विलंब एवं राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थिति विकास बोर्ड(रा.व.पा.वि.ब.) द्वारा का.वा.यो. की स्वीकृति में समय सीमा का अभाव होने के कारण रा.व.पा.वि.बो. द्वारा रा.व.वि.अ. को निधि जारी करने में 37 से 137 दिनों का विलंब हुआ। आगे रा.व.वि.अ.

एवं उसके बाद व.वि.अ. द्वारा समय में निधियों का हस्तांतरण में मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप सं.व.प्र.स. को निधि अगले वर्ष प्राप्त हुआ।

¶dfMdk 3-3-7-1 , oa 3-3-7-2¶

दो व.वि.अ. में राशि ₹ 1.50 करोड़ का व्यय करते हुए 445 हेक्टेयर वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य अनुपयुक्त स्थल/ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अन्य मदों से पूर्व में उपचार कार्य चल रहे थे में किया गया।

¶dfMdk 3-3-9¶

सदस्य सचिव, रा.व.वि.अ. के गलत कथन की वृक्षारोपण हेतु कोई नये क्षेत्र की स्वीकृति नहीं हुई है एवं रा.व.पा.वि.बो. अथवा रा.व.वि.अ. के बिना अनुमोदन के का.वा.यो. में अनुमोदित वानिकी कार्यों हेतु स्वीकृत राशि को उन्नत बायोमास चुल्हा के निर्माण में व्यपवर्तन किया। परिणामस्वरूप ₹ 83.98 लाख का दुरुपयोग गलत कथन के आधार पर हुआ।

¶dfMdk 3-3-8-1¶

का.वा.यो. में शामिल नहीं किये गये कार्य हेतु एक गैर-सरकारी संस्थान (एन.जी.ओ.) को ₹ 66.69 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। आगे एन.जी.ओ. को जिस कार्य के लिए भुगतान किया गया उसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

¶dfMdk 3-3-8-2¶

¶U; ysfkki jh{kk i q{k. kk¶

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) द्वारा वृक्षारोपण का कार्य अथवा पुनरोद्धार का कार्य ऐसे क्षेत्रों में जहां पूर्व से ही उपचार कार्य चल रहे हैं पर निषिद्ध किये जाने के बावजूद दो वनमण्डलों द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 175 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कर ₹ 1.08 करोड़ का व्यय किया, जहां पर वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य में पूर्व उपचार कार्य चल रहे थे।

¶dfMdk 3-4¶

कवर्धा वनमण्डल में राज्य कैम्पा के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्रा.पु.) का कार्य ऐसे नौ कूपों में किया गया, जहां पर पूर्व में विभागीय मद से उपचारित कर लिया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 56.27 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

¶dfMdk 3-5¶

IV. okf. kfT; d dj

आठ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आठ व्यवसायियों के वर्ष 2007-08 से 2010-11 के 10 प्रकरणों में प्रवेश कर (प्र.क.) का गलत दर अनुप्रयोग किये जाने से प्रवेश कर की राशि ₹ 4.22 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। साथ ही शास्ति ₹ 2.15 लाख भी आरोपणीय थी।

¶dfMdk 4-9¶

12 कार्यालयों में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 28 व्यवसायियों के वर्ष 2008-09 से 2013-14 के प्रकरणों में "सी", "ई-1/सी" एवं "एफ" फार्म की प्रस्तुति सुनिश्चित किये बिना रियायत दर से कर मान्य किये जाने के कारण केंद्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 5.39 करोड़ का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 3.94 लाख भी आरोपणीय थी।

¶dfMdk 4-7 , oa 4-8¶

31 मार्च 2016 की समाप्ति वर्ष का राजस्व क्षेत्र का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के कर निर्धारण प्रकरणों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के दौरान व्यवसायियों के संव्यवहारों का प्रतिसत्यापन न किये जाने के कारण तीन व्यवसायियों के विक्रय का छुपाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ का कर अपवंचन हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 1.99 करोड़ भी आरोपणिय थी।

¶dfMdk 4-6½

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के कर निर्धारण के दौरान दो कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आठ व्यवसायियों जिन्होंने अपने वार्षिक विवरणी में क्रयों को बढ़ाकर प्रदर्शित किया गया उसे आगत कर छूट मान्य किया गया। एक अन्य प्रकरण में एक व्यवसायी जिसका आवृत्त निरंक था उससे पूंजीगत प्रकृति एवं निर्माण कार्य सामग्रीयों पर किये गये क्रयों पर आगत छूट प्रदान किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संव्यवहारों का सत्यापन चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट के रिपोर्ट एवं विवरणीयों के जाँच करने में विफल होने के कारण राशि ₹ 13.47 लाख का अधिक/गलत आगत कर प्रदान हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 1.74 लाख भी आरोपणीय थी।

¶dfMdk 4-4½

V. epkcd , oa i ath; u Qhl

चार उपपंजीयकों द्वारा सम्पत्तियों के पंजीकरण के दौरान मुख्य मार्ग में स्थित 29 सम्पत्तियों का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से अलग मानकर किया गया। जिसके फलस्वरूप संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फ.) की राशि ₹ 74.91 लाख की कम प्राप्ति हुई।

¶dfMdk 5-5½

उ.पं., रायपुर द्वारा नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत में स्थित कृषि सम्पत्तियों के मूल्यांकन करते वक्त बाजार भाव मार्गदर्शिका सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप 15 प्रकरणों में मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 53.81 लाख की कम प्राप्ति हुई।

¶dfMdk 5-6½

तीन उपपंजीयकों द्वारा 11 प्रकरणों में संपत्ति का मूल्यांकन करते वक्त मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ एवं मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 50.00 लाख की कम प्राप्ति हुई।

¶dfMdk 5-7½

VI. vU; dj ikflr; ka

अधिनियम के प्रावधान अनुसार कलेक्टर द्वारा अनुज्ञप्ति के अभ्यर्ण के प्रकरण को आबकारी आयुक्त (आ.आ.) को प्रेषित न करते हुए अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया। साथ ही शुल्क एवं लायसेंस फीस की राशि ₹ 49.03 लाख पूर्व अनुज्ञप्तिधारक से भी वसूल नहीं की जा सकी।

¶dfMdk 6-6½

आसवक (डिस्टीलर) द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल) के निर्यात पर अनुमत्य सीमा से अधिक हानि/कमी का वहन किया गया एवं अनुमत्य सीमा से अत्याधिक हानि पर आबकारी शुल्क की राशि ₹ 28.34 लाख की वसूली आसवक से नहीं हो सकी।

¶dfMdk 6-5½

VII. dj&fHkUu i kflr; ka

उपसंचालक, खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.), रायगढ़ द्वारा स्पंज आयरन एवं कैप्टिव पावर उत्पादन में कोयला मिडलिंग के उपभोग पर राज्यांश का निर्धारण "पावर यूटीलिटी से भिन्न" क्षेत्रों के दर न लगाकर "पावर यूटीलिटी" के दर लगाये जाने के कारण राज्यांश की राशि ₹ 14.14 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

¶dfMdk 7-4½

उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ द्वारा कोयले के नविन ग्रेडिंग अनुसार राज्यांश की परिगणना न किये जाने से राज्यांश की राशि ₹ 27.29 लाख एवं ब्याज की राशि ₹ 25.31 लाख की कम प्राप्ति हुई।

¶dfMdk 7-5½

दो वनमण्डलों में 10,575.5 जलाऊ चट्टों एवं 11,702 बल्लीयों का नीलामीयों में निस्तार दरों से भी कम दरों में विक्रय किया गया। जिसके फलस्वरूप ₹ 33.74 लाख की राजस्व हानि हुई।

¶dfMdk 7-11½